भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2300

(जिसका उत्तर 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

उदारीकृत विप्रेषण योजना का दुरुपयोग

2300. श्री पी॰के॰ कुनहालिकुट्टीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर॰बी॰आई॰) की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एल॰आर॰एस॰) के अंतर्गत भारतीय निवासी अपने रिश्तेदारों/मित्रों को प्रति वर्ष 2,50,000 डॉलर तक भेज सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर॰बी॰आई॰ और प्रवर्तन निदेशालय को एल॰आर॰एस॰ के तहत धन भेजकर उसका विदेशों में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने के संबंध में इस योजना के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुईं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फेमा तथा अन्य धनशोधन कानूनों के अंतर्गत एल॰आर॰एस॰ का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय नागरिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी हाँ, विदेशी विनिमय विभाग मास्टर निर्देश सं. 7/2015-16 दिनांक 01 जनवरी, 2016 (20 जून, 2018 की स्थितिनुसार) उदारीकृत विप्रेषण योजना (एल॰आर॰एस॰) पर निवासी व्यक्तियों को वित्त वर्ष के एलआरएस के तहत विभिन्न अनुमति प्राप्त पूंजी और वर्तमान एकाउंट लेनदेन जैसे कि विदेश में विदेशी करेंसी एकांउट खोलना, विदेश में संपत्ति खरीदना, विदेश में निवेश करना, विदेश में पूर्व स्वामित्व की सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम खोलना, अनिवासियों के रिश्तेदारों को रुपये में ऋण देने में विस्तार, निजी दौरे, उपहार, दान, विदेश में नौकरी, प्रवास, विदेश में घनिष्ठ रिश्तेदारों का रखरखाव, बिजनेस दौरे, विदेश में मेडीकल उपचार और विदेश में अध्यन के लिए 2,50,000 अमरीकी डॉलर तक भेजने की अनुमति है।

(ग) और (घ): रिकॉर्ड के अनुसार विदेशी विनिमय विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 (एफईएमए) के तहत 10 मामलों को पंजीकृत किया है। इन मामलों के खुलासों का विस्तृत विवरण जनहित में नहीं हो सकता क्योंकि यह चल रही जांच प्रक्रिया में विपरित प्रभाव डाल सकती है।

******